न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0न0 53/2021(जी.सी.एम.एस. 2021/38) पीठासीन अधिकारी:— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. पीतम सिंह
2. चन्दन सिंह
3. गोविन्द सिंह
4. बदन सिंह

} पुत्रगण नवल सिंह

5. जगवीरी पत्नी देवी सिंह

} जातियान जाट नि0बेढम तहसील व जिला डीग(राज.)

—सायलान

बनाम

1. अतर सिंह
2. भोवल
3. मोहन सिंह

} पुत्रगण खचेरा जाति जाट नि0 बेढम तहसील डीग जिला डीग(राज.)

—गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा अंतर्गत
धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांक: 09.05.2024

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 2054/0.26, वाके ग्राम बेढम तहसील डीग में स्थित है। आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 2054/0.26 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग सायलान व तरतीवी प्रति0 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायलान वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रह कर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। गैर सायलान का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। गैर सायलान जबरन ताकत के बल पर सायलान व तरतीवी प्रति0 की उक्त खातेदारी की आराजी पर नाजायज कब्जा कर सायलान व तरतीवी प्रति0 को बेदखल करना चाहते है और कब्जा नाजायज कर लेना चाहते है। इस प्रकार का कार्य करने का गैर सायलान को कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैर सायलान को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से ता फैसला मुकदमा पावंद फरमाया जावे कि वे सायलान व तरतीवी प्रति0 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2054/0.26 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना करें व उक्त आराजी से सायलान व तरतीवी प्रति0 को जबरन बेदखल नहीं करें व उस पर कब्जा नाजायज नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01—03 की ओर से दिनांक 18.02.2022को जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया, में वर्णित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 2057/0.23 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग गैर सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर गैर सायलान वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करने चजे आ रहे है। गैर सायलान के उक्त आ.ख.नम्बर 2057/0.23 के वतरफ दक्षिण

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी का ख.नम्बर 2054/0.26 स्थित है। गैर सायलान के उक्त खं. नम्बर 2057 के वतरफ पश्चिम सरकारी सडक डीग—नगर से बेढम जाने वाली सडक है जो ख0नम्बर 2033 का भाग है,गैर सायलान के खेत ख0नम्बर 2057 के वतरफ पश्चिम जो सडक सरकारी है उससे सटी हुई सरकारी पटरी है तथा पटरी के बाद रेलवे विभाग की अण्डर ग्राउण्ड पुलिया है जिसकी दीवाल गैर सायलान के खेत से चलकर सायलान के खेत ख0नम्बर 2054 तक निर्मित है जिस कारण गैर सायलान अपने खेत ख0 नम्बर 2057 को आने जाने के लिए सायलान के खेत ख0नम्बर 2054 के आगे वतरफ पश्चिम सरकारी पटरी से होकर अपने खेत में पहुंचते है तथा गैर सायलान के खेत के वतरफ उत्तर भी रेलवे विभाग की अण्डर ग्राउण्ड पुलिया है। इसलिए गैर सायालान के पास सायलान के खेत ख0 नम्बर 2054 के आगे स्थित सरकारी पटरी से होकर आने जाने का रास्ता मॉजूद है,अन्य कोई रास्ता गैर सायलान के खेत को आने जाने के लिए नहीं है। सायलान का उनके खेत ख0 नम्बर 2054 के वतरफ पश्चिम स्थित सरकारी पटरी जो सरकारी सडक ख0 नम्बर 2033 का भाग है,से कोई सम्बन्ध सिवाय आने जाने के रास्ते के अन्य किसी प्रकार का नहीं है। गैर सायलान द्वारा सायलान के खातेदारी के खेत ख0 नम्बर 2054/0.26 वाके ग्राम बेढम पर कोई कब्जा करने एवं निर्माण करने की धमकी नहीं दी और ना ही गैर सायलान का ऐसा कोई उद्वेश्य कभी रहा है वल्कि स्वयं सायलान ही गैर सायलान को उनके खेत ख0नम्बर 2057/0.23 पर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे है और उनके रास्ते को अनाधिकृत तरीके पर निर्माण कर बंद करना चाहते है। सायलान द्वारा प्रस्तुत वाद दायर करने से पूर्व गैर सायलान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग में विरूद्व सायलान दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी अतर सिंह बगै0 बनाम चन्छन सिंह वगै0 पेश किया हुआ है जो लम्बित है इसलिए दावी हाजा कार्यवाही धारा 10 जा. दी. के तहत स्टे किये जाने योग्य है तथा इसी आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

बहस के दौरान **सायलान के विद्वान वकील श्री मुकेश कुमार** द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र सायलान अन्तर्गत धारा 212 आर.डी.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ता फैसला वाद पावंद किये जाने का अनुरोध किया गया।

बहस के दौरान विद्वान वकील गैर सायलान श्री अनिल कुमार गुप्ता द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि सायल सायलान का उनके खेत ख0 नम्बर 2054 के वतरफ पश्चिम स्थित सरकारी पटरी जो सरकारी सडक ख0 नम्बर 2033 का भाग है,से कोई सम्बन्ध सिवाय आने जाने के रास्ते के अन्य किसी प्रकार का नहीं है। गैर सायलान द्वारा सायलान के खातेदारी के खेत ख0 नम्बर 2054/0.26 वाके ग्राम बेढम पर कोई कब्जा करने एवं निर्माण करने की धमकी नहीं दी और ना ही गैर सायलान का ऐसा कोई उद्वेश्य कभी रहा है वल्कि स्वयं सायलान ही गैर सायलान को उनके खेत ख0नम्बर 2057/0.23 पर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे है और उनके रास्ते को अनाधिकृत तरीके पर निर्माण कर बंद करना चाहते है। सायलान द्वारा प्रस्तुत वाद दायर करने से पूर्व गैर सायलान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग में विरूद्व सायलान दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी अतर सिंह बगै0 बनाम चन्छन सिंह वगै0 पेश किया हुआ है जो लम्बित है इसलिए दावी हाजा कार्यवाही धारा 10 जा.दी.के तहत स्टे किये जाने योग्य है

Ram

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तथा इसी आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः– **आराजी मुत0खसरा नम्बर 2054/0.26 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग के सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। गैर सायलान का सायलान की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। सायलान आराजी मुत0 के खातेदार काश्तकार है और काबिज है।** ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

सुविधा का संतुलनः– **आराजी मुत0 खसरा नम्बर 2054/0.26 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग के सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। गैर सायलान का सायलान की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। सायलान आराजी मुत0 के खातेदार काश्तकार है और काबिज है और यदि गैर सायलान द्वारा सायलान की आराजी पर मैड तोडकर कब्जा कर लिया तो सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगी।** मुताविक प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

अपूर्तिनीय क्षतिः– **आराजी मुत0 खसरा नम्बर 2054/0.26 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग के सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। गैर सायलान का सायलान की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। सायलान आराजी मुत0 के खातेदार काश्तकार है और काबिज है और यदि गैर सायलान द्वारा सायल की आराजी पर मैड तोडकर कब्जा कर लिया तो अपूर्णनीय क्षति होगी।** ऐसी स्थिति में अपूर्णनीय क्षति सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायल का प्रस्तुत रिकार्ड,बहस के अवलोकन व मनन किया गया। ऐसी स्थिति में हम सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट,स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तर्गत 188,आर.टी.एक्ट के निर्णय/अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 2054/0.26 वाके ग्राम बेढम तहसील व जिला डीग पर निर्माण कार्य नहीं करने तथा रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

Ravi

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ravi

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

डीग (राज.)